

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY



(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

प्रशासन अनुभाग

सं. मान्/प्रशासन/एफ.120/2021-22/26

दिनांक. 02.11.2021

कार्यालय आदेश

विषय- मान्-प्रशासन- तत्काल प्रभाव दिनांक. 01.07.2021 से महँगाई भत्ते की संशोधित दरों पर भुगतान के संबंध में-आदेश जारी।

संदर्भ- 1. यूजीसी परिपत्र सं.एफ-3/2004(प्रशासन.I/ए एवं बी) दिनांक. 01.11.2021

2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं.1/4/2021-ई.II (बी), दिनांक 25.10.2021 को जारी।

3. दिनांक.02.11.2021 कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन पा रहे, मान् के कर्मचारियों को महँगाई भत्ता 28% की मौजूदा दर से 31% की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव दिनांक 01 जुलाई, 2021 से भुगतान हेतु अनुमोदित किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ पत्र में उद्धृत है।

#आदेशानुसार#

Sd/- 2-11-21
प्रभारी कुलसचिव

सेवा में

वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष
सभी विभागों (शैक्षणिक)/केन्द्रों/डीडीई के विभागाध्यक्ष
सभी अनुभागों के अनुभागाध्यक्ष/प्रभारी(गैर-शैक्षिक)
पॉलीटेकनीक, आईटीआई तथा मॉडल स्कूल।

प्रति

1. कुलपति/सम-कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
2. निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी
5. संबंधित फाइल